"विभागीय पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत, क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 394]　　रायपुर, सोमवार, दिनांक 2 सितम्बर 2013—भाद्र 11, शक 1935

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर, 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 13–23/2012/आ. प्र./1–3.—छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 13 सन् 2013) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

नियम

अध्याय–एक

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.– (1) ये नियम छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) नियम, 2013 कहलाएंगे।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

Scanned by CamScanner

2. परिभाषाएं:– (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 (कमांक 13 सन् 2013);

(ख) "आवेदक" से अभिप्रेत है, विहित रीति में प्रमाणपत्र, सत्यापन प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसका प्रमाणपत्र जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति द्वारा विनिश्चित अनुसार सत्यापित किया जाना हो, या ऐसा व्यक्ति जिसके नियोक्ता, शैक्षणिक संस्थान, स्थानीय प्राधिकरण, यथास्थिति, केन्द्र शासन या राज्य शासन, के द्वारा उसका प्रमाणपत्र जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति को सत्यापन के लिए संदर्भित किया गया हो;

(ग) "आवेदन" से अभिप्रेत है, इन नियमों के अधीन आवेदन;

(घ) "प्रमाणपत्र" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ण) में यथापरिभाषित तथा धारा 4 की उप–धारा (1) के अधीन जारी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र;

(ङ) "राष्ट्रपतीय अधिसूचना की तिथि" से अभिप्रेत है, अनुसूचित जाति के संदर्भ में अधिसूचना दिनांक 10 अगस्त, 1950 तथा अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में अधिसूचना दिनांक 06 सितम्बर, 1950;

(च) "अन्य राज्यों से प्रवासी" से अभिप्रेत है, व्यक्ति जिसने राष्ट्रपतीय अधिसूचना तिथि अथवा अन्य पिछड़े वर्ग की अधिसूचना तिथि के पश्चात, यथास्थिति, अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में प्रवास किया हो अथवा जिसका जन्म राष्ट्रपतीय अधिसूचना तिथि अथवा अन्य पिछड़े वर्ग की अधिसूचना तिथि के पश्चात, यथास्थिति, हुआ हो:

परंतु उसके पिता अथवा वैध मालक के द्वारा राष्ट्रपतीय अधिसूचना तिथि अथवा अन्य पिछड़े वर्ग की अधिसूचना तिथि के पश्चात, यथास्थिति, छत्तीसगढ़ राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में प्रवास किया हो;

(छ) "अनावेदक" से अभिप्रेत है, यथास्थिति, वह नियोक्ता अथवा शैक्षणिक संस्थान अथवा स्थानीय प्राधिकरण, राज्य शासन अथवा केन्द्र शासन, जिसके द्वारा आवेदक का प्रमाणपत्र सत्यापन हेतु सत्यापन समिति को निर्दिष्ट किया गया है;

(ज) "अन्य पिछड़े वर्ग की अधिसूचना तिथि" से अभिप्रेत है, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984;

(झ) 'अन्य पिछड़ा वर्ग संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना' से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में राज्यपाल द्वारा जारी आदेश या समय–समय पर यथा संशोधित अन्य पिछड़े वर्गों की अधिसूचित सूची;

(ञ) "विहित" से अभिप्रेत है, इन नियमों के अंतर्गत विहित;

(ट) "राष्ट्रपतीय अधिसूचना" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 एवं अनुच्छेद 342 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी तथा संसद द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित आदेश;

Scanned by CamScanner

(ठ) "अस्थाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र" से अभिप्रेत है, नियम 10 के अधीन प्ररुप 4ख में जारी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र;

(ड) "नातेदार" से अभिप्रेत है, आवेदक के पितृपक्ष के रक्त संबंधी नातेदार;

(ढ) "ग्राम सभा के संकल्प" से अभिप्रेत है, आवेदक की सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में उस ग्राम, जहां आवेदक निवास करता है, की ग्राम सभा के द्वारा जारी कोई घोषणा, निष्कर्ष, निर्णय अथवा संकल्प, जिससे आवेदक की सामाजिक प्रास्थिति, निर्विवाद रूप से स्पष्ट हो सके;

(ण) "छानबीन समिति" से अभिप्रेत है प्रमाणपत्रों के छानबीन के लिए, अधिनियम की धारा 7 की उप–धारा (1) के अधीन गठित उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति;

(त) "सत्यापन प्रमाणपत्र" से अभिप्रेत है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाणपत्र को विधिमान्य करते हुए, जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति द्वारा जारी प्रमाणपत्र;

(थ) "सत्यापन समिति" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (1) के अधीन आवेदक को जारी प्रमाणपत्र के सत्यापन के लिए, जिले में गठित जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति।

(2) शब्द एवं अभिव्यक्तियाँ, जो इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में परिभाषित हैं।

अध्याय–दो
सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र जारी किया जाना

3. प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन पत्र.– (1) आवेदक स्थायी आधार पर प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने के लिए, प्ररुप–1क में सक्षम प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करेगा ।

(2) आवेदक स्वयं या डाक या चॉइस सेन्टर या सामान्य सेवा केन्द्र के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी को अपना आवेदन प्रस्तुत करेगा ।

(3) आवेदक आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा, अर्थात् :–

(क) प्ररुप–2क में शपथपत्र मूल प्रति में;

(ख) आवेदक का पिछली तीन पीढ़ियों से प्रारंभ, हल्का पटवारी द्वारा सम्यक् रुप से जारी वंशवृक्ष;

(ग) ऐसे दस्तावेज अथवा दस्तावेजों की स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित प्रतिलिपि, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि उसके पूर्वज, यथास्थिति, राष्ट्रपतीय अधिसूचना की तिथि अथवा अन्य पिछड़े वर्ग की अधिसूचना तिथि, पर या उसके पूर्व से, छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमा में निवास कर रहे हैं;

(घ) मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 57 के अनुपालन में, राज्य पुनर्गठन प्रकोष्ठ की अधिसूचना दिनांक 23/09/2000 के पैरा (1) एवं (2) में उल्लिखित सिद्धांतों के अनुपालन में छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग को आवंटित अधिकारी/कर्मचारी या उनकी संतान के आवेदक होने की स्थिति में, ऐसे

Scanned by CamScanner

दस्तावेज अथवा दस्तावेजों की सम्यक रूप से अभिप्रमाणित प्रतिलिपि, जिससे यह प्रमाणित हो कि–

(एक) आवेदक के पूर्वज, यथास्थिति, राष्ट्रपतीय अधिसूचना की तिथि अथवा अन्य पिछड़े वर्ग की अधिसूचना तिथि, पर या उसके पूर्व से, वर्तमान मध्यप्रदेश राज्य की भौगोलिक सीमा में निवास कर रहे थे;

(दो) मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 67 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग में उन्हें आवंटित किया गया हो;

(ङ) निम्नांकित में से कोई दस्तावेज अथवा दस्तावेजों की स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित प्रतिलिपि, जिसमें आवेदक के पिता अथवा पूर्वज की जाति उपदर्शित हो अर्थात् :–

(एक) पूर्वजों के राजस्व दस्तावेज (मिसल);

(दो) जमाबंदी (सर्वे) या गिरदावरी;

(तीन) राज्य बंदोबस्त;

(चार) अधिकार अभिलेख (1954);

(पाँच) जनगणना (1931);

(छः) वन विभाग की जमाबंदी;

(सात) नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (1949);

(आठ) जन्म या मृत्यु पंजी;

(नौ) यदि पिता अथवा पूर्वज शिक्षित थे, तो प्रवेश (दाखिल/खारिज) पंजी;

(दस) पिता, पूर्वज अथवा संबंधी (नातेदार) को पूर्व में जारी जाति प्रमाण पत्र;

(ग्यारह) जहां जाति को प्रमाणित करने हेतु कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध न हो, ग्राम सभा द्वारा आवेदक की जाति के संबंध में पारित संकल्प;

(च) अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के संबंध में, आवेदक के पिता का पूर्व वर्ष का आय प्रमाण पत्र;

(छ) समुचित डाक टिकट सहित पूर्ण एवं स्पष्ट पता लिखा हुआ लिफाफा।

(4) आवेदक, सत्यापन के समय या जब कभी भी आवश्यक हो, सक्षम प्राधिकारी, जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति अथवा छानबीन समिति, यथास्थिति, के समक्ष मूल प्रमाणपत्र एवं दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।

4. आवेदन का पंजीयन. – सक्षम प्राधिकारी आवेदन पत्र प्राप्त होने पर पंजी में विहित प्ररूप 5क में आवेदन का पंजीयन करेगा।

5. आवेदन पत्र की प्रारंभिक जाँच, पावती एवं वापसी ज्ञापन.–(1) आवेदन पत्र के पंजीयन के उपरांत, सक्षम प्राधिकारी संक्षिप्त रूप से प्रारंभिक जाँच करेगा, और विनिश्चित करेगा कि आवेदनपत्र पूर्ण है अथवा नही, तथा उसके साथ नियम 3 के उप–नियम (3) के अधीन वांछित दस्तावेज संलग्न है अथवा नहीं, यदि सक्षम प्राधिकारी यह पाता है कि आवेदन पत्र के साथ वांछित दस्तावेज संलग्न है तो वह

Scanned by CamScanner

प्ररूप 3क में विहित पावती आवेदक को उपलब्ध करायेगा तथा यदि अपेक्षित दस्तावेज संलग्न नहीं है तो प्ररूप 3ख में वापसी ज्ञापन, आवेदनपत्र की प्राप्ति के 7 दिवस के अंदर, आवेदक को उपलब्ध करायेगा।

(2) यथास्थिति, पावती अथवा वापसी ज्ञापन, का प्रतिपर्ण सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रखा जायेगा।

6. असमर्थता ज्ञापन.—(1) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का ऐसा आवेदक, जिसने प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन किया है, यदि नियम 3 के उप–नियम (3) के अधीन वांछित दस्तावेज, समुचित प्रयास के उपरांत भी प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो वह, वापसी ज्ञापन के पृष्ठ भाग में मुद्रित विहित प्ररूप 3ग में ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने में उसकी असमर्थता के बारे में शपथ पत्र दे सकेगा।

(2) असमर्थता ज्ञापन प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी, नियम 3 के उप–नियम (3) के अधीन वांछित दस्तावेज अथवा दस्तावेजों की मांग नहीं करेगा और नियम 8 के अनुसार आवेदक के दावे की जॉच करेगाः

परन्तु आवेदक, ऐसी जॉच के दौरान सक्षम प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा निर्दिष्ट जॉच अधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित रहेगा तथा संबंधित व्यक्तियों को उपस्थित कराने में सभी आवश्यक सहयोग करेगा ताकि सामाजिक प्रास्थिति के उसके दावे की पुष्टि हो सके ।

7. जांचकर्ता अधिकारी.– सक्षम प्राधिकारी आवेदनपत्र के प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर, या तो स्वयं जॉच प्रारंभ करेगा अथवा किसी अधीनस्थ राजस्व अधिकारी को जॉच हेतु निर्देशित करेगा।

8. जांच.– (1) जांचकर्ता अधिकारी, आवेदक के निवास, स्थायी पता, राजस्व रिकार्ड, अचल संपत्ति, आवेदक के परिवार का व्यवसाय, मतदाता सूची में नाम एवं अन्य साक्ष्य, जो कि राष्ट्रपतीय अधिसूचना तिथि अथवा अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित अधिसूचना तिथि, यथास्थिति, पर स्थायी निवासी प्रमाणित करने हेतु तथा आवेदक के द्वारा दावा किये गये सामाजिक प्रास्थिति को प्रमाणित करने हेतु सुसंगत हो, के संबंध में जांच करेगा।

(2) जॉचकर्ता अधिकारी नियम 3 के उप–नियम (3) में उल्लिखित दस्तावेजों के अतिरिक्त स्थानीय संस्थाओं यथा ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका तथा नगर पालिक निगम, के दस्तावेजों की भी जॉच कर सकेगा।

(3) जॉचकर्ता अधिकारी ग्राम कोटवार, ग्राम सरपंच, हल्का पटवारी, स्थानीय पार्षद, क्षेत्र के अन्य जनप्रतिनिधियों, वहां के रहने वाले राजपत्रित अधिकारियों, ऐसे स्थानीय सदस्यों जो उस जाति के पहले से प्रमाणपत्रधारी हैं तथा आवेदक को भली–भॉति जानते हैं, के मौखिक कथन भी साक्ष्य के रूप में अभिलिखित कर सकेगा।

(4) जॉचकर्ता अधिकारी, जहॉ वह स्वयं सक्षम प्राधिकारी नहीं है, जॉच उपरांत दस्तावेजी साक्ष्यों एवं अभिलिखित किए गए मौखिक कथनों के साथ अपना लिखित प्रतिवेदन स्पष्ट निष्कर्ष के साथ, जॉच आदेश प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर, सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

Scanned by CamScanner

9. सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र.– सक्षम प्राधिकारी, नियम 3 के उप–नियम (1) के अधीन आवेदन पत्र प्राप्त होने पर नियम 8 के अधीन जॉच कर और जहॉ वह स्वयं जॉचकर्ता अधिकारी नहीं है, जॉचकर्ता अधिकारी के प्रतिवेदन एवं संलग्न दस्तावेजों से स्वयं संतुष्ट होने के उपरांत, आवेदन की प्राप्ति के एक माह के अंदर, अनुसूचित जाति के आवेदक को प्ररूप 4क(1) में अनुसूचित जनजाति के आवेदक को प्ररूप 4क(2) में तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को प्ररूप 4क(3) में प्रमाणपत्र जारी करेगा।

10. अस्थायी प्रमाणपत्र.– (1) कक्षा दसवीं तक शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए अथवा ऐसे स्तर पर छात्रवृत्ति अथवा शिष्यवृत्ति प्रदान करने हेतु अथवा ऐसे अन्य प्रयोजनों हेतु, जहां बड़ी संख्या में प्रमाणपत्र की अपरिहार्यता है एवं ऐसे प्रमाणपत्र यथा समय जारी किया जाना संभव नहीं है, तो, आवेदक के द्वारा प्ररूप 2क में दिए गए शपथ पत्र के आधार पर सक्षम प्राधिकारी प्ररूप 4ख में, आवेदन की तिथि से पन्द्रह दिवस के अंदर, अस्थायी प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा:

परन्तु सक्षम प्राधिकारी प्ररूप 5ख में जारी अस्थायी प्रमाणपत्र का विवरण संधारित करेगा।

(2) अस्थायी प्रमाणपत्र केवल छः माह की अवधि के लिए अथवा स्थाई प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि, जो भी पहले हो, तक के लिए वैध होगा।

11. अन्य राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवासित आवेदक के लिए प्रमाणपत्र.– ऐसे मामले में जहां आवेदक अन्य राज्यों से प्रवासी हो, सक्षम अधिकारी, उस राज्य में, यदि आवश्यक हो, तो संबंधित राज्य के जिला मजिस्ट्रेट या सत्यापन समिति या सतर्कता प्रकोष्ठ के माध्यम से उसकी सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में विस्तृत जॉच पड़ताल करने के उपरांत प्ररूप 4ग में प्रमाण पत्र जारी करेगा:

परन्तु ऐसे प्रमाणपत्र धारक उस राज्य, जिससे वह प्रवासित है, में यथास्थिति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग, को प्रदत्त सुविधाओं का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे।

12. अस्वैच्छिक प्रवास.– अविभाजित मध्यप्रदेश के शासकीय सेवक तथा निगम, आयोग, मण्डल एवं सार्वजनिक उपक्रम के ऐसे अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण, जो मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) के अधीन मध्यप्रदेश राज्य एवं छत्तीसगढ़ राज्य के बीच कैडर विभाजन के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य में आवंटित हुये हैं, ऐसे कर्मचारी तथा उनके परिवार के सदस्य, यदि वे छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है, तो उनको मध्यप्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य में अस्वैच्छिक प्रवास किया गया समझा जायेगा, तथा उन्हें इस प्रकार प्रमाणपत्र जारी किया जायेगा और उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य में आरक्षण का लाभ देय होगा।

13. प्रमाणपत्र, दस्तावेज पंजी.– सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र का विवरण विहित प्ररूप 5ग में दर्ज किया जायेगा।

अध्याय–तीन
प्रमाणपत्र का सत्यापन

14. जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति का गठन.– (1) राज्य शासन, सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी प्रमाणपत्र के सत्यापन के लिए, एक या अधिक जिलों पर अधिकारिता रखने वाली, जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति का निम्नानुसार गठन करेगा :–

(क) कलेक्टर द्वारा नामांकित जिला मुख्यालय में पदस्थ अपर कलेक्टर अथवा डिप्टी कलेक्टर —अध्यक्ष

Scanned by CamScanner

(ख)	कलेक्टर द्वारा नामांकित अनुसूचित जनजाति वर्ग का द्वितीय श्रेणी से अनिम्न का एक अधिकारी;	–सदस्य
(ग)	कलेक्टर द्वारा नामांकित अनुसूचित जाति वर्ग का द्वितीय श्रेणी से अनिम्न का एक अधिकारी;	–सदस्य
(घ)	कलेक्टर द्वारा नामांकित अन्य पिछड़ा वर्ग का द्वितीय श्रेणी से अनिम्न का एक अधिकारी;	–सदस्य
(ङ)	संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा नामांकित एक विषय विशेषज्ञ अधिकारी अथवा तृतीय श्रेणी कार्यपालिक कर्मचारी;	–सदस्य
(च)	सहायक आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग ।	–सदस्य सचिव

(2) सत्यापन समितियों के लिए विषय विशेषज्ञ अधिकारी के पद पर या तृतीय श्रेणी कार्यपालिक, समुचित अधिकारी या कर्मचारी उपलब्ध नहीं है, तो संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर के द्वारा सेवानिवृत्त अधिकारी अथवा तृतीय श्रेणी कार्यपालिक कर्मचारी को सदस्य के रुप में नियुक्त किया जा सकेगा।

(3) सत्यापन समितियों में नामांकित सेवानिवृत्त विषय विशेषज्ञ अधिकारी या तृतीय श्रेणी कार्यपालिक कर्मचारी के लिए, मानदेय राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

(4) सत्यापन समितियों की बैठकें, आवश्यकतानुसार प्रत्येक सप्ताह नियत दिवस को आयोजित की जायेगी:

परंतु समिति की बैठक, अध्यक्ष के निर्देश पर मात्र एक दिवस की अल्प सूचना पर भी आहूत की जा सकेगी।

15. प्रमाणपत्र का सत्यापन एवं सत्यापन समिति को संदर्भीकरण– (1) यदि यथास्थिति, संबंधित लोक नियोजक, शैक्षणिक संस्थान या संवैधानिक निकाय, राज्य सरकार या केन्द्र सरकार को शिकायत प्राप्त होती है अथवा संदेह उद्भूत होता है कि नियुक्त, प्रवेशित, निर्वाचित, नामित अथवा नामांकित व्यक्ति ने त्रुटिपूर्ण रुप से या कपटपूर्वक प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किया है, तो वह प्ररूप 2ख में ऐसे व्यक्ति को शपथपत्र प्रस्तुत करने के लिए कहेगा, तथा प्ररुप 1ख में सत्यापन समिति को प्रकरण निर्दिष्ट करेगा ।

(2) सत्यापन समिति, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये कुल प्रमाण पत्रों के लगभग 10 प्रतिशत कमरहित नमूना पद्धति के माध्यम से नमूना जॉच के रूप में करेगी। आवेदक, सत्यापन समिति से ऐसी सूचना के संबंध में पूछे जाने के लिए स्वंतत्र नही होगा कि उसके प्रमाणपत्र का चयन सत्यापन हेतु क्यों किया गया है।

(3) सत्यापन समिति, किसी भी आवेदक को, उसकी सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में प्ररूप 2ग में शपथ पत्र के साथ प्ररूप 1ग में आवेदन प्रस्तुत करने निर्देशित कर सकेगा तथा नियम 3 के उप–नियम (3) के अधीन यथा अपेक्षित ऐसे दस्तावेज को जो उसकी सामाजिक प्रास्थिति के सत्यापन हेतु आवश्यक हो, को प्रकट करेगा ।

(4) कोई अनावेदक, किसी प्रमाण पत्र को सत्यापन समिति को संदर्भित करने के स्थान पर, आवेदक को भी निर्देशित कर सकेगा कि वह अपना प्रमाणपत्र सत्यापन समिति द्वारा सत्यापित करावे। ऐसी स्थिति में आवेदक अपना मूल प्रमाणपत्र, प्ररूप 2 ग में शपथ पत्र के साथ प्ररूप 1 ग में आवेदन पत्र तथा नियम 3 के उप–नियम (3) के अधीन यथा अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।

Scanned by CamScanner

(5) सत्यापन समिति से उप-नियम (3) के अधीन निर्देशित किए जाने अथवा अनावेदक से उप-नियम (4) के अधीन सत्यापन समिति से उसे अपना प्रमाणपत्र सत्यापित कराने का निर्देश दिए जाने पर, आवेदक, शपथ पत्र के साथ उपरोक्त उल्लिखित आवेदन पत्र तथा नियम 3 के उप-नियम (3) में यथा अपेक्षित दस्तावेज एक माह की अनधिक अवधि के भीतर, प्रस्तुत करने हेतु आबद्ध होगा, ऐसा करने से विफल रहने पर समिति एक पक्षीय निर्णय ले सकेगी तथा ऐसे आवेदक के प्रमाणपत्र को नियम 18 के अधीन छानबीन समिति को अग्रेषित कर सकेगी,

परंतु जहां आवेदक, सत्यापन समिति को इस बात का समाधान करा देता है कि एक माह की विहित समयावधि के भीतर, समुचित कारणों से, आवेदन पत्र, शपथ पत्र तथा अन्य दस्तावेज प्रस्तुत नही कर सका है तो सत्यापन समिति, आवेदक के प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए समयावधि बढ़ा सकेगी।

16. सत्यापन समिति द्वारा आवेदन पत्र का पंजीयन.– (1) सत्यापन समिति, प्ररूप 5घ में विहित किए गए अनुसार पंजी में, आवेदक अथवा अनावेदक से सत्यापन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का पंजीयन करेगी।

(2) सत्यापन समिति, आवेदन पत्र प्राप्त होने के 7 दिवस के अंदर, प्ररूप 5घ में आवेदक अथवा अनावेदक, यथास्थिति, को उसकी पावती प्रेषित करेगी।

17. सत्यापन समिति के द्वारा प्रमाणपत्र का सत्यापन.– (1) यदि सत्यापन समिति, आवेदन पत्र एवं उससे संलग्न दस्तावेजी साक्ष्य से संतुष्ट हो, तो एक माह से अनधिक की अवधि के भीतर, आवेदक, उसके पालक अथवा अनावेदक को, अनुसूचित जाति से संबंधित होने पर प्ररूप 4घ(1) में, अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने पर प्ररूप 4घ(2) में तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित होने पर प्ररूप 4घ(3) में सत्यापन प्रमाणपत्र जारी करेगी:

परंतु यदि आवेदक, उसका पालक अथवा अनावेदक, यथास्थिति, के द्वारा डाक से प्रेषित किए जाने का निवेदन किया जाता है, तो समिति, उसे पंजीकृत डाक से प्रेषित करेगी।

(2) सत्यापन समिति, प्ररूप 5ङ. में सत्यापन प्रमाणपत्र का विवरण संधारित करेगा।

18. आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से संतुष्ट न होने पर, सत्यापन समिति द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया.– (1) जहां सत्यापन समिति, आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजी साक्ष्य से संतुष्ट नहीं है, तो वह आवेदनपत्र के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिवस के भीतर अथवा अनावेदक द्वारा संदर्भित होने के पन्द्रह दिवस के भीतर, आवेदक तथा अनावेदक, यदि कोई हो, को तत्संबंध में उक्त कारणों का उल्लेख करते हुए, जिससे वह संतुष्ट नहीं है, सूचित करेगी तथा सुनवाई का अवसर प्रदान करेगी।

परन्तु सत्यापन समिति, तीन माह की अनधिक अवधि में सुनवाई पूर्ण करेगी तथा जहां समिति की राय हो कि प्रमाणपत्र त्रुटिपूर्वक या कपटपूर्वक अभिप्राप्त किया गया प्रतीत होता है तो नियम 20 के अधीन छानबीन समिति को मूल प्रमाणपत्र सहित सुसंगत दस्तावेज तथा अपने निष्कर्ष जांच के लिए अग्रेषित करेगी तथा आवेदक एवं अनावेदक, यदि कोई हो, को भी सूचित करेगा ।

(2) सत्यापन समिति, छानबीन समिति को अग्रेषित प्रमाण पत्र का विवरण प्ररूप 5च में संधारित करेगी ।

Scanned by CamScanner

अध्याय–चार

प्रमाणपत्रों की जॉच, निरस्तीकरण एवं जप्ती

19. उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति द्वारा मामलों का पंजीकरण.– (1) उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति उसे सत्यापन समिति अथवा राज्य शासन द्वारा निर्दिष्ट प्रकरणों को प्ररूप–5ब में पंजीकृत करेगी ।

20. सतर्कता प्रकोष्ठ के माध्यम से प्रकरण की जॉच.– (1) छानबीन समिति सत्यापन समिति अथवा राज्य शासन द्वारा उसे निर्दिष्ट प्रकरणों में संबंधित समस्त दस्तावेजों तथा प्रमाण पत्र को प्ररूप–6क में उप पुलिस अधीक्षक के अधीन गठित सतर्कता प्रकोष्ठ की ओर अग्रेषित करेगी;

(2) उप पुलिस अधीक्षक अपने अधीनस्थ पुलिस निरीक्षक के माध्यम से प्रकरण की जॉच करेगा तथा तद्नुसार उसकी सूचना छानबीन समिति को देगा।

(3) सतर्कता प्रकोष्ठ के पुलिस निरीक्षक–

(क) आवेदक के स्थानीय निवास, मूल एवं सामान्य निवास स्थान या प्रवासित होने के पूर्व उसके मूल निवास स्थान के ऐसे नगर, या शहर या गांव की तलाश करेंगे;

(ख) यथास्थिति, आवेदक या उसके माता–पिता या उसके पालक, के द्वारा दावा किये गये सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में सत्यता की जांच लोक दस्तावेजों के आधार पर करेंगे;

(ग) आवेदक के द्वारा सत्यापन समिति को प्रस्तुत आवेदन पत्र में अंकित जानकारी का सत्यापन सुसंगत लोक दस्तावेजों एवं विश्वसनीय प्रायवेट दस्तावेजों के आधार पर करेंगे;

(घ) ग्राम कोटवार, ग्राम सरपंच, हल्का पटवारी, स्थानीय पार्षद, क्षेत्र के अन्य जनप्रतिनिधियों, स्थानीय राजपत्रित अधिकारियों, ऐसे स्थानीय सदस्यों, जो पूर्व से प्रमाणपत्र धारी हैं तथा आवेदक को भली–भॉति जानते हैं, से जानकारी प्राप्त करेंगे तथा यदि उनमें से कोई मौखिक कथन देने हेतु सहमत है, तो वह स्वयं उनके मौखिक कथन तद्नुसार अंकित करेंगे अथवा महत्वपूर्ण गवाहों से शपथपत्र के रूप में उनके कथन देने का अनुरोध करेंगे तथा सहमत होने की स्थिति में तद्नुसार उनके शपथपत्र प्राप्त कर उसकी प्रतिलिपि संबंधित गवाह को देंगे;

(ड.) आवेदक को स्वयं तथा आवेदक के माता–पिता को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देंगे तथा उनके द्वारा निर्दिष्ट किये गये गवाहों के कथन स्वयं अंकित करेंगे अथवा उनका शपथपत्र प्राप्त करेंगे;

(च) परीक्षण के दौरान यदि यह पाया जाता है कि आवेदक के द्वारा अथवा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा दुष्प्रयोजन से दस्तावेजों में कोई कूट रचना की गई है, तो दस्तावेज के संबंधित पृष्ठों की छायाप्रति प्राप्त करने के पश्चात् स्थानीय पुलिस की सहायता से दस्तावेज जप्त कर एवं उसकी पंचती एवं छायाप्रति दस्तावेज संधारित करने वाले प्राधिकारी को देंगे तथा दस्तावेज सीलबंद कर सतर्कता प्रकोष्ठ के उप पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत करेंगे;

Scanned by CamScanner

(छ) जांच–पड़ताल पूर्ण होने के उपरांत, समस्त जॉच दस्तावेजों के साथ अपना प्रतिवेदन उप पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत करेंगे।

(4) उप पुलिस अधीक्षक, छानबीन समिति की आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के उपरांत, जप्त दस्तावेज फोरेंसिक जॉच तथा हस्त लिपि विषेषज्ञ को समुचित टीप के साथ प्रेषित करेगा।

(5) उप पुलिस अधीक्षक, पुलिस निरीक्षक से प्राप्त समस्त दस्तावेजों एवं फोरेंसिक तथा हस्तलिपि विशेषज्ञ से प्राप्त निष्कर्षों के साथ आवेदक की सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में अपना स्पष्ट अभिमत छानबीन समिति को प्रस्तुत करेगा।

(6) छानबीन समिति ऐसे प्रतिवेदन का परीक्षण करेगी तथा यदि वह प्रतिवेदन में कोई कमी पाती है, तो पुनः ऐसी कमी को इंगित कर सतर्कता प्रकोष्ठ को प्रतिवेदन लौटा कर विनिर्दिष्ट बिन्दुओं पर जॉच करने हेतु निर्देशित करेगी.

(7) पुलिस निरीक्षक तथा उप पुलिस अधीक्षक उपरोक्त उल्लिखित अनुसार प्रकरणों की जॉच–पड़ताल का विवरण प्ररूप–5ज के अनुसार संधारित करेंगे।

21. सतर्कता प्रकोष्ठ के प्रतिवेदन पर कार्यवाही.– (1) यदि सतर्कता प्रकोष्ठ के जांच प्रतिवेदन में आवेदक की सामाजिक प्रास्थिति संबंधी दावा न्यायसंगत और उचित प्रतिवेदित है, तो छानबीन समिति को उस पर किसी अग्रिम कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होगी और वह तदनुसार संबंधित, यथास्थिति, सत्यापन समिति अथवा राज्य शासन एवं आवेदक को अवगत करायेगी।

(2) यदि प्रकरण राज्य शासन द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, तो राज्य शासन के स्तर पर प्रकरण नस्तीबद्ध कर उसकी सूचना आवेदक को दी जायेगी तथा यदि प्रकरण सत्यापन समिति के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, तो सत्यापन समिति नियम 17 में उपबंधित रीति में सत्यापन करने के उपरांत मूल एवं सत्यापित प्रमाणपत्र, यथास्थिति, आवेदक अथवा अनावेदक को प्रेषित करेगी।

22. उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति द्वारा जांच.– (1) जहाँ छानबीन समिति, आवेदक के सामाजिक प्रास्थिति के दावे से सतकर्ता प्रकोष्ठ के जॉच प्रतिवेदन के अनुसार संतुष्ट नहीं है, तो समिति पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदक को विहित प्ररूप–6ख में सतर्कता प्रकोष्ठ के प्रतिवेदन के साथ कारण बताओ नोटिस देगी तथा ऐसे नोटिस की प्रतिलिपि अनावेदक को भी, (यदि कोई हो तो), दी जायेगी।

(2) आवेदक का उत्तर प्राप्त होने के पश्चात्, छानबीन समिति एक बैठक आहूत करेगी, जिसमें वह आवेदक को उसके मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करेगी तथा आवेदक को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जायेगा।

(3) छानबीन समिति, सुनवाई से संबंधित आम सूचना भी जारी करेगी, जिसका प्रचार प्रसार गांव में डोंडी पिटवाकर, ईश्तहार या अन्य सुविधाजनक साधनों के माध्यम से किया जायेगा, ताकि कोई व्यक्ति या संस्था आवेदक के दावे का समर्थन या विरोध कर सकें तथा ऐसे व्यक्ति या संस्था को भी यदि कोई हो तो सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जायेगा।

(4) आवेदक को स्वयं या उसके अभिभावक को (नाबालिग आवेदक की स्थिति में) सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्, छानबीन समिति ऐसी जॉच कर सकेगी, जिससे वह दावे तथा अन्य आपत्तियों पर विचार कर सके।

Scanned by CamScanner

(3) छानबीन समिति तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार को सामीनी हेतु नोटिस अथवा समंस भेजेगी, जो प्ररूप–6ग में निर्देशित रीति अनुसार नोटिस की तामिल करेगा।

23. छानबीन समिति का निर्णय एवं तत्पश्चात् कार्यवाही.– (1) दावे पर पक्ष एवं विपक्ष दोनों की सुनवाई के उपरांत, आवेदक के दावे की सत्यता के संबंध में छानबीन समिति की संतुष्टि होने पर वह सत्यापन प्रमाणपत्र जारी करने हेतु, यदि ऐसा आवेदित है, तो संबंधित सत्यापन समिति को निर्देशित करेगी।

(2) आवेदक के सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र के उसके दावे के संबंध में सुनवाई के पश्चात् यदि छानबीन समिति, इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि आवेदक का दावा वास्तविक नहीं है, तो वह कारण सहित आदेश पारित कर सकेगी तथा प्रमाणपत्र को निरस्त कर सकेगी।

(3) छानबीन समिति उप–नियम (2) के अन्तर्गत आदेश पारित करते समय अधिनियम की धारा 10 की उप–धारा (2) के अन्तर्गत शिकायत प्रस्तुत करने हेतु नियोजक, शैक्षणिक संस्थान, स्थानीय प्राधिकारी, केन्द्र शासन अथवा राज्य शासन के एक अधिकारी को प्राधिकृत करेगी तथा आगामी कार्यवाही के लिए प्रकरण से संबंधित समस्त दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रतियाँ ऐसे अधिकारी को अग्रेषित करेगी।

(4) छानबीन समिति इस नियम के उप–नियम (2) के अन्तर्गत आदेश पारित करते समय संबंधित कलेक्टर को जाँच करने हेतु यह निर्देशित करेगी, कि क्या सक्षम प्राधिकारी के द्वारा ऐसा मिथ्या सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र जानबूझ कर जारी किया गया है अथवा इस बात की जानकारी रखते हुए जारी किया गया है कि ऐसा प्रमाणपत्र असत्य है अथवा क्या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण किया गया है तथा कलेक्टर 3 माह के अंदर अपना प्रतिवेदन राज्य शासन को अग्रेषित करेगा।

(5) छानबीन समिति मिथ्या सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र के निरस्तीकरण का आदेश पारित करने के पश्चात् उसे समपहृत करेगी तथा उसका विवरण प्ररूप–6झ में विहित किये गये अनुसार पंजी में अंकित करेगी तथा ऐसे प्रमाणपत्र पर "निरस्त एवं समपहृत" मुद्रित किया जायेगा।

(6) छानबीन समिति द्वारा पारित आदेश की प्रतियाँ अनावेदक, यदि कोई हो, तथा आवेदक को पंजीकृत डाक के द्वारा ऐसे आदेश पारित होने के तत्काल उपरांत प्रेषित की जायेंगी। यदि आवेदक अथवा कोई अन्य व्यक्ति कार्यालय में उपस्थित हो कर आदेश की प्रति की माँग करता है, तो उचित शुल्क के भुगतान पर उस व्यक्ति को प्रदान कर दी जायेंगी।

24. मिथ्या प्रमाण पत्र धारक के विरूद्ध कार्यवाही– (1) यथास्थिति, लोक नियोजक, शैक्षणिक संस्थान अथवा संवैधानिक निकाय, राज्य शासन अथवा केन्द्र शासन, का अधिकारी, जो छानबीन समिति के द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, छानबीन समिति के द्वारा पारित निर्णय की अभिप्रमाणित प्रति के आधार पर उक्त मिथ्या सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र धारक के विरूद्ध, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का क्रमांक 2) की धारा 154 की उप–धारा (1) के अन्तर्गत पुलिस थाने में लिखित शिकायत दर्ज करायेगा।

25. मिथ्या सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र जारीकर्ता सक्षम प्राधिकारी एवं दुष्प्रेरक के विरूद्ध कार्यवाही.– संबंधित जिले का कलेक्टर मिथ्या सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र जारीकर्ता सक्षम प्राधिकारी एवं अपराध के दुष्प्रेरक के विरूद्ध लिखित शिकायत दर्ज करायेगा।

Scanned by CamScanner

अध्याय–पाँच

विविध

26. प्रमाण पत्र तथा सत्यापन प्रमाणपत्र की द्वितीय प्रति जारी किए जाने हेतु प्रक्रिया.– जहाँ आवेदक से संबंधित मूल प्रमाणपत्र अथवा सत्यापन प्रमाणपत्र खो गया हो या चोरी हो गया हो या बाढ़, भूकंप इत्यादि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण नष्ट हो गया हो, तो निवेदन पर राज्य शासन द्वारा यथा निर्धारित शुल्क प्राप्त करने के पश्चात्, यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी अथवा सत्यापन समिति, ऐसे कार्यालय में रखे गये मूल दस्तावेजों के आधार पर उसकी द्वितीय प्रति जारी कर सकेंगे। ऐसे प्रमाणपत्र अथवा सत्यापन प्रमाणपत्र पर "द्वितीय प्रति" का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।

27. प्रमाण पत्र जारी करने, सत्यापित करने अथवा निरस्त करने की सूचना.– (1) सक्षम प्राधिकारी, सत्यापन समिति तथा छानबीन समिति, यथास्थिति, प्रमाणपत्र जारी करने, सत्यापित करने अथवा निरस्त करने के संबंध में प्रत्येक माह की 5 तारीख के पूर्व कार्यालय के सूचना पटल पर जानकारी प्रदर्शित करेगी तथा उसकी सूचना स्थानीय स्वायत्त संस्थानों एवं निकायों, नगर निगमों, नगर पालिका, ग्राम पंचायत इत्यादि को उनके रिकार्ड के लिए तथा जिला सूचना केन्द्रों के माध्यम से निर्धारित वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु भी भेजेगी।

(2) सक्षम प्राधिकारी प्रमाणपत्र जारी करने तथा आवेदनों को निरस्त करने की जानकारी प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर तक विहित प्ररूप–7क में राज्य शासन को भी प्रेषित करेगी।

(3) सत्यापन समिति प्रमाणपत्रों के सत्यापन करने, आवेदनों के निरस्त करने, छानबीन समिति को प्रकरण को अग्रेषित करने की जानकारी प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर तक विहित प्ररूप–7ख में राज्य शासन को प्रेषित करेगी।

(4) छानबीन समिति, राज्य शासन तथा सत्यापन समितियों के द्वारा निर्दिष्ट शिकायतों पर जाँच एवं प्रमाणपत्र के निरस्तीकरण संबंधी जानकारी प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर तक विहित प्ररूप–7ग में राज्य शासन को प्रेषित करेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, सचिव.

Scanned by CamScanner